न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थीगण :
भोमाराम सेवदा पुत्र छीतरराम सेवदा जाति जाट निवासी राबडियाद		1— राज. सरकार तहसीलदार परबतसर 2— पटवारी हल्का हरनांवा पट्टी

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :— श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :— 106/2020 निर्णय दिनांक :— 06.09.2021

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम राबडियाद के खसरा नम्बर 327 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल रकबा 3.2500 हैक्टर व ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 50 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 2.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल रकबा 4.4800 हैक्टर स्थित हैं उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता छीतरराम के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाते समय राजस्व कर्मचारियो की गलती से उस समय प्रार्थी का नाम कालूराम दर्ज हो गया, वर्तमान में सेटलमेन्ट अभियान प्रारम्भ होकर समाप्त हो चुका है राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भोमाराम सेवदा के स्थान पर कालूराम होने से प्रार्थी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने मे भारी समस्या हो रही है प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र छीतरराम के स्थान पर भोमाराम

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सेवदा पुत्र छीतरराम सेवदा इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया तथा विरासत के नामान्तकरण से नाम दर्ज होने का उल्लेख किया ।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकरण में आदेश 6 नियमं 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय संशोधित प्रारूप के पेश किया जिस पर बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष जो सही होना पाते हुये संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया गया तथा उसके पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की बहनो रेखा व उषा के नोटेरी शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसमे उन्होने उल्लेख किया की प्रार्थी उनका भाई है तथा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय उसका घर का बोलतानाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया गया जबकि उसका सही नाम भोमाराम सेवदा है।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार ग्राम राबडियाद के खसरा नम्बर 327 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल रकबा 3. 2500 हैक्टर व खसरा नम्बर 469, 470 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर व ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 50 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 2.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल रकबा 4.4800 हैक्टर में कालूराम पुत्र छीतरराम दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र छीतरराम दर्ज हैं जिससे प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

का कथन है कि राजस्व कर्मचारियो की भूल से प्रार्थी का नाम भोमाराम सेवदा पुत्र छीतरराम सेवदा के स्थान पर कालूराम पुत्र छीतरराम दर्ज हो गया हैं तथा विरासत के नामान्तकरण के समय प्रार्थी का नाम भोमाराम सेवदा पुत्र छीतरराम सेवदा दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियो की भूल से कालूराम पुत्र छीतरराम दर्ज हो गया। प्रार्थी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा की मार्कशीट आदि अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम भोमाराम सेवदा पुत्र छीतरराम सेवदा दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड के सभी सहकाश्तकारो रेखा व उषा की ओर से इसके समर्थन में शपथ पत्र नोटेरी शुदा प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम राबडियाद के खसरा नम्बर 327 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल रकबा 3.2500 हैक्टर व खसरा नम्बर 469, 470 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर व ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 50 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 53 रकबा 2.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल रकबा 4.4800 हैक्टर में दर्ज कालूराम पुत्र छीतरराम के स्थान पर भोमाराम पुत्र छीतरराम घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी का नाम दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/9/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)